उल्लंघन पत्र

रजि. ए.डी. / ई-मेल

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,
क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय, रायपुर
द्वितीय तल, जी0 एस0 आई0 फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट–विधानसभा, रायपुर–492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स–0771–2282530, 2285590/95 ई–मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

प्रेषिति-

श्री संग्राम केशरी स्वाइं,
नामित खान मालिक,
मेटाबोडेली लौह अयस्क खान,
सर्वश्री जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
सिलतारा ग्रोथ सेंटर, बिलासपुर रोड, सिलतारा,
रायपुर-493111, छत्तीसगढ़
ईमेल- spd.mines@necoindia.com

श्री टी. प्रशन्ना कुमार, खान एजेंट,
मेटाबोडेली लौह अयस्क खान,
सर्वश्री जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज लिमिटेड,
सिलतारा ग्रोथ सेंटर, बिलासपुर रोड, सिलतारा,
रायपुर-493111, छत्तीसगढ़
ई-मेल- tembe.prasanna@necoindia.com

विषय : छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले में स्थित आपके मेटाबोडेली लौह अयस्क खान, 25 हैक्टर (खान कोड-**30CHG08001**) में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियमों के उल्लंघन के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 23.12.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री टी. प्रशन्ना कुमार, खान एजेंट की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के उपरांत पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन किया हे ।

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	The Mining operations required to be carried out in accordance with the mining plan approved, modified or reviewed by the Indian Bureau of Mines. However, during inspection of the mine, mining operations observed not carried out in your aforesaid mine in accordance with the Modification of Review of Mining Plan (MRMP) approved dated 13.08.2024 to the extent indicated below: - i. It was proposed to developed pit/quarry in systematic manner by formation of regular benches of 6 m. maximum height and 9 m. minimum width. However, it is observed during inspection that excavation has been carrying out at the northern side of ML area (near to BP. 05 to 10) haphazardly without formation of systematic and regular benches as envisaged in the Mining Plan. ii. Proper terracing of waste dump at regular interval of 10 m. has not been carried out as envisaged in approved Mining Plan. iii. Environmental protective measures around the lower periphery of the waste dump-2 i.e. 150 m. retaining wall and 100 m. garland drain proposed to be constructed in year 2024-25 has not been constructed so far. Moreover, rain cuts and gully formation noticed in the said waste dump slopes and spillage/wash-off observed going outside without sufficient protective measures undertaken. Hence, above are observed to be against the systematic & scientific development of mines and also against the protection of environment in the mine.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 (यथा संशोधित) के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का अनुपालन नहीं होने

पर आपके विरूद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है एवं खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) के अंतर्गत खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त नियमों का उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इस पत्र के जारी होने के 45 दिन के अंदर इस कार्यालय को सूचित करें ।

भवदीय,

Signed by Prem Prakash
Date: 23-01-2025 18:31:25

(प्रेम प्रकाश)
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपिः सूचनार्थ) -:ईमेल द्वारा(

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर-440001।
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, अटल नगर, छत्तीसगढ़ । ईमेल- dgm.cg@nic.in

हस्ता/-
क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो